संख्या-1/2015/219/44-1-2015-29/2012

प्रेषक

डा0 सूर्य प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासनिक विभागों के
प्रमुख सचिव/ सचिव ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 27 फरवरी, 2015

विषय- वेतन समिति (2008) संस्तुतियों के संदर्भ में राजकीय विभागों के वाहन चालक संवर्ग के संबंध में लिये गये सामान्य निर्णय को सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के वाहन चालक संवर्ग के लिये लागू किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 25 जून,2013 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन यह सामान्य निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में सामान्य श्रेणी के पदों पर राजकीय कार्यालयों के सामान्य श्रेणी के पदों के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार वेतनमान व संवर्गीय ढांचा लागू किया जाय । राजकीय विभागों के वाहन चालक संवर्ग के पदों के पुनर्गठन के संबंध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-652/दस-2012-(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा निर्णय लिया गया है । उक्त क्रम में ऐसे सार्वजनिक उपक्रम/निगम, जहाँ पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू की जा चुकी है, उनके वाहन चालक संवर्ग के लिये उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31 जनवरी,2013 की व्यवस्था को शासनादेश दिनांक 25 जून, 2013 में इंगित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव निगम के निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से निर्णय लिया जायेगा ।

2; उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त आवश्यक शासनादेश संबंधित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें ।

3; इस संबंध में लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को संबंधित उपक्रम/ निगम अपने श्रोतों से स्वयं वहन करेगें एवं इसमें शासन से कोई अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी ।

4; यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-1385/दस-2014, दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डा0 सूर्य प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1/2015/219/44-1-2015-29/2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1; वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2

2; सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के प्रबन्ध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।

3; महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय , उ0प्र0, लखनऊ

4; संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन को विभागीय वेबसाइट हेतु ।

5; महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो , जवाहर भवन, लखनऊ ।

6; गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(मुरारी लाल)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या–वे0आ0–2–652/दस–2012–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 31 जनवरी, 2013

विषयः वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन (भाग–1) द्वारा वाहन चालक संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी पूर्व संस्तुतियों पर पुनर्विचार करते हुए दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाहन चालक संवर्ग के सम्बन्ध में पत्र संख्या–वे0आ0–2–290/दस–54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 14 जून, 2012 एवं पत्र संख्या–वे0आ0–2–487/दस–54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 18 सितम्बर, 2012 के माध्यम से संसूचित निर्णयों के सम्बन्ध में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2012 के प्रस्तर–1 (1) में संशोधन करते हुए वाहन चालक संवर्ग के पदों को दिनांक 14 जून, 2012 से निम्नलिखित विवरण के अनुसार पुनगर्ठित किया जाए :––

क0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (रू0)/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	संस्तुत वेतनमान (रू0)/ वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	पदों का प्रति–शत	भर्ती की प्रकिया/अर्हता
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1–	वाहन चालक ग्रेड–4	3050–4590/वेतन बैण्ड–1(रू0 5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 1900	3050–4590/वेतन बैण्ड–1(रू0 5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 1900	30	उ0प्र0 सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2011 में निर्धारित अर्हता/भर्ती की प्रकिया के आधार पर (एक) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के अर्हताएं (i) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और (ii) यथा स्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग

					लाइसेन्स सम्बन्धित रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से 03 वर्ष से अनन्यून अवधि का रखता हो। (दो) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे क्लीनरो और समूह "घ" के कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और, यथास्थिति, भारी या हल्के वाहन चलाने का 03 वर्ष से अनन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स रखता हो तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो : परन्तु यदि पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग की अनुपलब्धता अथवा पोषक संवर्ग में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तो, ऐसी रिक्तियों को उक्त खण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा।
2–	वाहन चालक ग्रेड–3	4000–6000 वेतन बैण्ड–1(रू0 5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 2400	4000–6000 वेतन बैण्ड–1(रू0 5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 2400	25	वाहन चालक ग्रेड–3 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–4 से की जायेगी जिन्होंने 09 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो ।
3–	वाहन चालक ग्रेड–2	4500–7000 वेतन बैण्ड–1(रू0 5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 2800	4500–7000 वेतन बैण्ड–1(रू0 5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 2800	20	वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–3 के पदधारकों से की जायेगी जिन्होंने ग्रेड–3 के पद पर 06 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा अथवा वाहन चालक ग्रेड–4 की सेवाओं को जोड़ते हुए कुल 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।
4–	वाहन चालक ग्रेड–1	5000–8000 वेतन बैण्ड–2(रू0 9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4200	5000–8000 वेतन बैण्ड–2(रू0 9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4200	15	वाहन चालक ग्रेड–1 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–2 पदधारकों से की जायेगी जिन्होंने ग्रेड–2 के पद पर 03 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

5	वाहन चालक विशेष श्रेणी	—	6500–10500 वेतन बैण्ड–2(रू0 9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4600	10	वाहन चालक विशेष श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–1 के पदधारकों से की जाएगी जिन्होंने ग्रेड–1 के पद पर कम से कम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

वाहन चालक के उपर्युक्त पुनर्गठन के फलस्वरुप उपलब्ध पदों पर भर्ती/पदोन्नति/समायोजन के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाये :—

" उक्तानुसार पुनर्गठन के फलस्वरूप संशोधित/उच्चीकृत ग्रेड वेतन के उपलब्ध पदों पर वर्तमान में निम्न स्तर के पदों पर कार्यरत पदधारकों से ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर एक मुश्त समायोजन कर दिया जाय। उक्तानुसार समायोजित होने वाले पदधारकों का संशोधित/उच्चीकृत ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–841/दस–59 (एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 एवं संख्या–वे0आ0–2–577/दस–59 (एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 29 जून, 2010 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। एक मुश्त समायोजन की सुविधा सिर्फ एक बार ही दी जायेगी। उक्त सुविधा के उपरान्त रिक्त होने वाले पदों को सम्बन्धित पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं भर्ती की प्रकिया के अनुसार ही भरा जायेगा।"

2— कृपया वित्त विभाग के पत्र दिनांक 17 अगस्त, 2010, 14 जून, 2012 एवं 22 जून, 2012 द्वारा संसूचित निर्णयों को उक्त निर्णयों के अनुसार संशोधित रूप में कार्यान्वित किये जाने हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
सचिव, वित्त

संख्या–वे0आ0–2–652(1)/दस–2012–54(एम) 2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निर्णयों का कार्यान्वयन कराने हेतु यथावश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें।

2— वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1

3— कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

4— निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।